



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10072023-247191  
CG-DL-E-10072023-247191

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]  
No. 483]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 7, 2023/आषाढ 16, 1945  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 7, 2023/ASHADHA 16, 1945

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान  
(संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2023

(चार्टर्ड अकाउंटेंट)

सं. 1-सीए(7)/208/2023.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 का आगे और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का एक प्रारूप, जिसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् बनाने का प्रस्ताव करती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार, ऐसे सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उस तारीख से, जिसको भारत के ऐसे राजपत्र की प्रतियां, जिसमें इन प्रारूप विनियमों का प्रकाशन किया जाता है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के अवसान पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव प्रस्तुत करने का इच्छुक कोई व्यक्ति उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की परिषद् द्वारा विचार किए जाने हेतु, सचिव, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, आईसीएआई भवन, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 को संबोधित करते हुए ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संस्थान को अग्रेषित कर सकेगा ;

ऐसे किसी आक्षेप या सुझाव पर, जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, परिषद् द्वारा विचार किया जाएगा ।

### प्रारूप विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 में,—  
(क) विनियम 3 में,  
(i) विनियम के शीर्ष में “रजिस्टर” शब्द के स्थान पर, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द रखे जाएंगे ;  
(ii) उक्त विनियम में, “सदस्यों का रजिस्टर” शब्द के पश्चात्, “बनाया रखा जाएगा” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;  
(ख) विनियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(1) अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को यथाविद्यमान संस्थान के सदस्यों की सूची को प्रदेश-वार प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही उसे संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सदस्य (सदस्यों) को उक्त सूची की एक भौतिक प्रति, उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।  
(2) सदस्यों की सूची में सदस्यों के निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट हो सकेंगे :  
(i) नाम – संस्थान के अभिलेखों के अनुसार सदस्य का नाम  
(क) उस दशा में, जहां सदस्य एमआरए के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :  
देश का नाम -  
विनियामक लेखांकन निकाय का नाम और पता -  
(ii) लिंग – पुरुष, स्त्री और अन्य  
(iii) अर्हता – संस्थान के अभिलेखों के अनुसार सदस्य की अर्हता  
(iv) सदस्यता संख्या –  
(v) क्या वह सहबद्ध है अथवा अध्येता -  
(vi) सहबद्ध या अध्येता के रूप में नामांकन का वर्ष -  
(vii) क्या सदस्य व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण कर रहा है -  
(viii) वृत्तिक पता (विनियम 187 देखें) -  
(ix) विदेश में निवास करने वाले सदस्य – भारत में सदस्य का प्रदेश और आवासीय पता  
(x) अधिनियम के अध्याय V के अधीन सदस्य के विरुद्ध लंबित कार्रवाई किए जाने योग्य किसी सूचना या शिकायत के ब्यौरे  
(xi) अधिनियम के अध्याय V के अधीन सदस्य के विरुद्ध अधिरोपित किसी शास्ति के ब्यौरे।”
- (ग) विनियम 9 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“9. व्यवसाय प्रमाणपत्र मंजूर/इंकार किया जाना—  
(1) कोई सदस्य परिषद् से ऐसे प्रमाणपत्र का अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा, जो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय करने हेतु हकदार बनाए।  
(2) व्यवसाय प्रमाणपत्र मंजूर किए जाने संबंधी कोई आवेदन उपयुक्त प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ तब तक वार्षिक प्रमाणपत्र फीस और वार्षिक सदस्यता फीस संलग्न की जाएगी जब तक कि उनका विनियम 6 के अनुसार पहले ही संदाय न कर दिया गया हो।  
(3) संस्थान उपयुक्त प्ररूप में व्यवसाय प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा, जो तब तक विधिमान्य होगा, जब तक कि उसे इन विनियमों के उपबंधों के अधीन रद्द न कर दिया जाए।

- (4) इस विनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सदस्य द्वारा 31 मार्च, 1975 को धारित किसी व्यवसाय प्रमाणपत्र के संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे इस विनियम के अधीन जारी किया गया है और वह तब तक विधिमान्य बना रहेगा जब तक कि उसे रद्द न कर दिया जाए।
- (5) व्यवसाय समाप्त करने पर कोई सदस्य यथासंभवशीघ्र, किंतु किसी भी दशा में उस तारीख से, जिसको वह व्यवसाय करना बंद कर देता है, एक मास की अवधि के भीतर, परिषद् को इस संबंध में सूचित करेगा।
- (6) परिषद् उस दशा में किसी सदस्य को व्यवसाय प्रमाणपत्र मंजूर करने से इंकार कर सकेगी, यदि व्यवसाय प्रमाणपत्र का आवेदन करने के लिए विहित प्ररूप में प्रस्तुत की गई विशिष्टियों को अपूर्ण, गलत या मिथ्या पाया जाता है या सदस्य अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है।”

(घ) विनियम 20 के पश्चात निम्नलिखित विनियम 20क, 20ख और 20ग अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

**“20क. फर्म को रजिस्टर करने की रीति तथा निबंधन और शर्तें**

- (1) व्यवसायरत कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कोई फर्म या चार्टर्ड अकाउंटेंटों की बहु-विध भागीदारी फर्म किसी व्यापार नाम या फर्म नाम से व्यवसाय आरंभ करने से पूर्व परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी विशिष्ट व्यापार या फर्म नाम के उपयोग की अनुमति प्राप्त करने के लिए परिषद् द्वारा अनुमोदित प्ररूप में परिषद् को आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (2) किसी विद्यमान व्यापार या फर्म नाम के उपयोग या व्यापार या फर्म के नाम में उपांतरण किए जाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए सभी विद्यमान फर्म इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर परिषद् को आवेदन करेगी और परिषद् ऊपर उपविनियम (1) के अधीन जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विद्यमान व्यापार/फर्म नाम का उपयोग करने या उक्त नाम में कोई उपांतरण करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगी।
- (3) परिषद् किसी विशिष्ट व्यापार या फर्म नाम का अनुमोदन करने से इंकार कर सकेगी,—
  - (i) यदि ऐसी फर्म का नाम संस्थान के अभिलेखों के अनुसार पहले से रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य फर्म के नाम के तत्समान है या उससे मिलता-जुलता है ; या
  - (ii) यदि वह नाम भारत के भीतर या भारत से बाहर किसी फर्म द्वारा पहले से उपयोग में है ; या
  - (iii) यदि उसमें किसी ईश्वर/देवी/देवता का नाम अंतर्विष्ट है और जिसका किसी सदस्य (सदस्यों) के नाम से कोई संबंध नहीं है ; या
  - (iv) यदि व्यापार/फर्म का नाम वर्णनात्मक है ; या
  - (v) यदि व्यापार/फर्म के नाम से कोई विज्ञापन होता है ; या
  - (vi) यदि परिषद् की राय में ऐसा नाम अवांछनीय है ; या
  - (vii) यदि परिषद् की राय में फर्म का रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है।
- (4) चार्टर्ड अकाउंटेंटों की कोई फर्म, यथास्थिति, व्यापार या फर्म के नाम के अनुमोदन या व्यवसाय आरंभ करने या संविधान में कोई परिवर्तन करने या फर्म या कार्यालय की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन करने की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर अपने कार्यालय, फर्म और परिवर्तनों से संबंधित ऐसी विशिष्टियों के बारे में उपर्युक्त प्ररूप में परिषद् को सूचित करेगी।
- (5) दो या अधिक सदस्यों या फर्मों की दशा में जहां समान व्यापार या फर्म के नाम को पूर्व में फर्मों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया है वहां परिषद्, यथास्थिति, ऐसे सदस्य या फर्म, उससे भिन्न जिसके नाम को सर्वप्रथम फर्मों के रजिस्टर में रजिस्ट्रीकृत किया गया था, को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसी रीति में नाम में अंतरण करे, जैसा कि परिषद् द्वारा उपर्युक्त समझा जाए और सदस्य या फर्म उपरोक्त निदेश को जारी किए जाने से छह मास के भीतर ऐसे अंतरण के संबंध में परिषद् को सूचित करेंगे।
- (6) परिषद् एक वर्ष की अवधि के भीतर पहले से रजिस्ट्रीकृत किसी फर्म या व्यापार के नाम को रद्द कर सकेगी और उस दशा में जहां परिषद् को यह पता चलता है कि पूर्व में अनुमोदित नाम ऊपर उपविनियम (1), जो फर्म/व्यापार

नाम के अनुमोदन के समय प्रवर्तन में था, के अनुसार दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था वहां परिषद् निदेशों को जारी किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर नाम में परिवर्तन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दे सकेगी।

(6क) यदि परिषद् को यह पता चलता है कि रजिस्ट्रीकरण अवांछनीय है तो उस दशा में परिषद् किसी फर्म के रजिस्ट्रीकरण के एक वर्ष के भीतर उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द कर सकेगी।

(7) कोई सदस्य ऐसे व्यापार या फर्म नाम के अधीन निदेश जारी किए जाने की तारीख से छह मास की अवधि के अवसान के पश्चात् व्यवसाय नहीं करेगा, जिसके संबंध में उपविनियम (5) और (6) के अधीन कोई निदेश जारी किया गया है और परिषद् ऐसी फर्म के नाम को फर्म के रजिस्टर से हटा देगी।

(8) परिषद् अपने विवेकानुसार उपयुक्त मामलों में उपविनियम (4) के अधीन विशिष्टियों को फाइल किए जाने में हुए विलंब को क्षमा कर सकेगी।

## 20ख. फर्मों का रजिस्टर

(1) परिषद् उपयुक्त प्ररूप में फर्मों का एक रजिस्टर बनाए रखेगी और उसमें निम्नलिखित ब्यौरों को प्रविष्ट किया जाएगा--

- (i) ऐसी विशिष्टियां, जो फर्म द्वारा विनियम 20क के अधीन प्रस्तुत की गई हैं ;
- (ii) अधिनियम के अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध लंबित कार्रवाई किए जाने योग्य किसी सूचना या शिकायत के ब्यौरे तथा फर्म के विरुद्ध अधिरोपित किसी शास्ति के ब्यौरे ;
- (iii) अधिनियम के अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध अधिरोपित किसी शास्ति के ब्यौरे ;
- (iv) किसी अपील प्राधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष शास्ति से संबंधित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों के लंबित रहने संबंधी ब्यौरे ;
- (v) ऊपर खंड (ii), (iii) और (iv) के संबंध में रजिस्टर की प्रविष्टियों को साठ दिन की अवधि के भीतर अद्यतन किया जाएगा।

(2) परिषद् ऐसी किसी फर्म के नाम को फर्मों के रजिस्टर से हटा देगी, जो अधिनियम की धारा 20ग के अधीन किसी प्रकार की निःशक्तता से ग्रस्त है।

## 20ग. फर्मों की सूची

(1) प्रत्येक वर्ष के 1 अप्रैल को यथाविद्यमान संस्थान के फर्मों की सूची को प्रदेश-वार प्रकाशित किया जाएगा और साथ ही उसे संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। सदस्य (सदस्यों) को उक्त सूची की एक भौतिक प्रति, उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराई जाएगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाए।

(2) फर्मों की सूची दो खंडों में होगी, अर्थात् स्वामित्व वाली फर्मों और भागीदारी फर्मों (जिनके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) और उसमें फर्मों से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट हो सकेंगे :-

(क) स्वामित्व वाली फर्मों की दशा में--

- (i) फर्म का नाम
- (ii) फर्म का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
- (iii) स्वामी का नाम (सदस्य)
- (iv) सदस्यता संख्या
- (v) सदस्य की सीओपी प्रास्थिति
- (vi) फर्म का पूर्ण पता
- (vii) सदस्य की किसी अन्य फर्म में सहबद्धता
- (viii) अधिनियम के अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध लंबित किसी कार्रवाई योग्य सूचना या शिकायत के ब्यौरे

- (ix) अधिनियम के अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति के ब्यौरे
- (x) ऐसी कोई अन्य विशिष्टियां, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।
- (ख) भागीदारी फर्म की दशा में
- (i) फर्म का नाम
- (ii) फर्म का रजिस्ट्रीकरण संख्यांक
- (iii) भागीदारों के नाम
- (iv) भागीदारों की सदस्यता संख्या
- (v) भागीदारों की सीओपी प्रास्थिति
- (vi) सदस्य की किसी अन्य फर्म में सहबद्धता
- (vii) प्रधान कार्यालय का पता
- (viii) शाखा (शाखाओं) की संख्या
- (ix) शाखा कार्यालय (कार्यालयों) का पता
- (x) अधिनियम के अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध लंबित किसी कार्रवाई योग्य सूचना या शिकायत के ब्यौरे
- (xi) अधिनियम के अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध अधिरोपित शास्ति के ब्यौरे
- (xii) ऐसी कोई अन्य विशिष्टियां, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाएं।”

(ड) विनियम 127 में उपविनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(1) यहां नीचे उल्लिखित एक या अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रादेशिक परिषदों का गठन किया जा सकेगा या जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 9 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए :-

1. गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र राज्य तथा दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र।
2. आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना राज्य और लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र।
3. अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल राज्य और अंदमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्यक्षेत्र।
4. बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य।
5. हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य और दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र।”

(च) विनियम 129 के उपविनियम (2) में “बंबई, मद्रास, कलकत्ता” शब्दों के स्थान पर, “मुंबई, चेन्नई, कोलकाता” शब्द रखे जाएंगे।

(छ) विनियम 134 में,--

- (i) उपविनियम (2) के पहले परंतुक के खंड (ख) में “तीन लगातार कार्यकालों से अधिक” शब्दों के स्थान पर, “चार वर्ष के दो लगातार कार्यकालों” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपविनियम (2) के पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- “परंतु यह और कि प्रादेशिक परिषद् का ऐसा कोई सदस्य, जिसने ऐसे सदस्य के रूप में दो कार्यकालों के लिए पद धारित किया है या तीन वर्ष के दूसरे कार्यकाल के लिए पद धारण कर रहा है, चार वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र होगा और ऐसा कोई सदस्य, जिसने एक कार्यकाल के लिए पद धारण किया है या जो तीन वर्ष के प्रथम कार्यकाल के लिए पद धारण कर रहा है, दो और लगातार कार्यकालों के लिए निर्वाचन लड़ने हेतु पात्र होगा।”;

- (iii) उपविनियम (2) के तीसरे परंतुक के खंड (i) में, “तीन” शब्द के स्थान पर, “चार” शब्द रखा जाएगा ;
- (iv) उपविनियम (2) के तीसरे परंतुक के खंड (ii) में, “छह” शब्द के स्थान पर, “आठ” शब्द रखा जाएगा ;
- (v) उपविनियम (2) के चौथे परंतुक में, “तीन” शब्द के स्थान पर, “चार” शब्द रखा जाएगा ;
- (vi) उपविनियम (4) में खंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“परंतु ऐसे किसी सदस्य, जो किसी मतदान में मत डालने के लिए हकदार है, को ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, जिससे वह संबंधित है, से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए उसके द्वारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के भीतर चुने गए मतदान केंद्र पर मत डालने की अनुमति दी जाएगी, परंतु इस संबंध में उस विशिष्ट केंद्र के रिटर्निंग आफिसर को मतदान की तारीख से कम से कम चौदह दिन पूर्व इस प्रकार मत डालने की संसूचना प्रदान की गई हो :

परंतु यह और कि रिटर्निंग आफिसर, किसी मतदाता द्वारा, जो अपने प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से परे किसी मतदान केंद्र में मत डालने की अनुमति की ईप्सा कर रहा है, मत डाले जाने संबंधी आवेदन की प्राप्ति पर, जो मतदान की तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व प्राप्त हुआ हो, ऐसे पात्र मतदाता को उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से, जिससे वह संबंध रखता है, निर्वाचन लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी के लिए उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से परे उसके द्वारा चुने गए किसी नगर में स्थित किसी मतदान केंद्र में उस समय मत डालने की अनुमति प्रदान कर सकेगा, यदि मतदाता सूची में प्रकाशित उसके वृत्तिक पते में कोई परिवर्तन हुआ है या मतदान की तारीख को उसके अपने वृत्तिक पते पर मौजूद रहने की संभावना नहीं है और इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्था रिटर्निंग आफिसर द्वारा की जाएगी।”।

(ज) विनियम 138 में,--

- (i) उपविनियम (3) में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(i) किसी प्रादेशिक परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा प्रत्येक वर्ष परिषद् द्वारा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संपरीक्षकों के पैनल में से नियुक्त की गई समान फर्म द्वारा की जाएगी।”;

- (ii) उपविनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपविनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(4) यदि किसी संपरीक्षक के कार्यालय में कोई स्थान रिक्त होता है तो उस दशा में भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संपरीक्षकों के पैनल में से परिषद् द्वारा समान फर्म की नियुक्ति की जाएगी।”।

(झ) विनियम 195 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

#### “195. संपरीक्षकों की नियुक्ति—

- (1) परिषद् अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंटों की एक फर्म की संपरीक्षक के रूप में नियुक्ति करेगी।
- (2) परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षक दो और लगातार वर्षों के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, परंतु यह कि यदि परिषद् ऐसी नियुक्ति में परिवर्तन करना चाहती है तो उसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की सहमति प्राप्त करनी होगी और उसके उपरांत वह भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संपरीक्षकों के पैनल में से किसी अन्य संपरीक्षक की नियुक्ति कर सकेगी।
- (3) परिषद् संपरीक्षकों को संदत्त किए जाने वाले पारिश्रमिक को अवधारित करेगी।”।

(ञ) विनियम 199 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

“यदि संपरीक्षक के कार्यालय में कोई पद रिक्त होता है तो उसे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा बनाए रखे गए संपरीक्षकों के पैनल में से नई नियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।”।

(ट) विनियम 202 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

#### “202. अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य

- (1) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और परिषद् या उसकी स्थायी समितियों द्वारा समय-समय पर उसे प्रत्यायोजित किए जाएं (बजट, संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय लेखाओं का अनुमोदन, विनियम, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं बनाने की शक्तियों के सिवाय)।
- (2) अध्यक्ष, इस संबंध में कोई निदेश जारी कर सकेगा कि किसी कारवार को परिषद् या किसी स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ रखा जाए।”।

(उ) विनियम 202 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

**“202क. उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य**

उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करेगा, जो अधिनियम द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा परिषद् या परिषद् की स्थायी समितियों द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं।”।

(ड) विनियम 203 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

**“203. सचिव की शक्तियां, कर्तव्य और कृत्य**

परिषद् के सकल नियंत्रण और मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के अधीन सचिव निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :

- (1) वह मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में संस्थान के कार्यालय का प्रभारी होगा ;
- (2) वह विनियम 10 के उपबंधों के अनुसार सहबद्ध सदस्यों और अध्येताओं को जारी व्यवसाय प्रमाणपत्रों को रद्द कर सकेगा ;
- (3) वह सदस्यों को लेखांकन वृत्ति में व्यवसाय करने के अलावा परिषद् द्वारा अनुज्ञात प्रवर्गों के भीतर अन्य व्यवसायों में नियोजित होने की अनुमति प्रदान कर सकेगा ;
- (4) वह अधिनियम और इन विनियमों द्वारा यथाअपेक्षित रजिस्ट्रों, दस्तावेजों और प्ररूपों को बनाए रखेगा ;
- (5) वह संस्थान की सभी संपत्तियों का प्रभारी होगा ;
- (6) वह परिषद् को शोध्य धनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा और साथ ही उसके संबंध में पावतियां भी जारी करेगा ;
- (7) वह परिषद् या उसकी समितियों द्वारा अनुज्ञात की गई सीमाओं के भीतर राजस्व और पूंजी व्यय उपगत कर सकेगा ;
- (8) वह संस्थान के लेखाओं की संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा नियुक्त संपरीक्षकों के लिए समुचित लेखाओं को बनाए रखेगा तथा उन्हें लेखाबहियां, सूचना आदि परिदत्त करेगा ;
- (9) वह परिषद् या उसकी समितियों द्वारा यथा अनुज्ञात सभी अन्य संदाय करेगा ;
- (10) वह कर्मचारिवृंद को वेतन और भत्तों का संदाय करेगा, उन्हें छुट्टी मंजूर करेगा और साथ ही वह उन्हें अन्य परिलब्धियों का भी संदाय करेगा तथा वह विनियमों के अनुसार उनकी वेतन वृद्धियों को मंजूर करेगा ;
- (11) वह अधिकारियों और कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण का प्रयोग करेगा सिवाय पदच्युत करने के, जिसके संबंध में परिषद् की मंजूरी आवश्यक होगी ;
- (12) इन विनियमों के अधीन परीक्षाओं, नामांकन के लिए प्राप्त फीस का प्रतिदाय या अंतरण, व्यवसाय प्रमाणपत्र को जारी करना और संबद्ध विषय ;
- (13) आर्टिकलड सहायकों और संपरीक्षा सहायकों की सेवा में अपने विवेकानुसार अधिकतम छह मास की अवधि के अंतराल को क्षमा करना ;
- (14) परिषद् की ओर से सभी संसूचनाओं, दिशानिर्देशों, परिपत्रों, आदेशों, निर्णयों और अधिसूचनाओं पर हस्ताक्षर करना तथा उन्हें जारी करना ;

- (15) परिषद् या उसकी समितियों द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के भीतर संस्थान की ओर से करारों, संविदाओं, विलेखों, दस्तावेजों और बंधपत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना और उनका निष्पादन करना ;
- (16) परिषद् या उसकी समितियों द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के भीतर न्यायालयों या मंचों या न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के समक्ष संस्थान की ओर से किन्हीं सिविल या दांडिक या अन्य कार्यवाहियों से संबंधित मामलों में आवश्यक कदम उठाना और परिषद् की ओर से वकालतानामों पर हस्ताक्षर करना, परिषद् की ओर से सालिसीटर या अधिवक्ताओं की नियुक्ति करना या परिषद् की ओर से न्यायालयों में प्रपत्र फाइल करना ;
- (17) ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का अनुपालन करना, जो उपरोक्त कर्तव्यों के अनुपालन के लिए आनुषंगिक और सहायक या अपेक्षित हों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जो परिषद् या उसकी समितियों द्वारा समय-समय पर उसे प्रत्यायोजित की जाएं ;
- (18) संस्थान के किसी अधिकारी या किन्हीं अधिकारियों को मद संख्या (4), (6), (7), (8), (9), (12) और (13) के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करना, जैसा कि समय-समय पर आवश्यक समझा जाए ।”।

(ढ) विनियम 203 के पश्चात् निम्नलिखित विनियम 203ख, 203ग और 203घ अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

**“203ख. पब्लिक डोमेन में कार्रवाई किए जाने योग्य सूचना और शिकायतों की प्रास्थिति**

- (1) अनुशासन निदेशालय, बोर्ड और समितियों के समक्ष लंबित कार्रवाई की जाने योग्य सूचना और शिकायतों की प्रास्थिति को संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा और उसे प्रत्येक मास अद्यतन किया जाएगा ।
- (2) इस प्रकार लंबित सूचना और शिकायतों की प्रास्थिति में निम्नलिखित ब्यौरे अंतर्विष्ट होंगे,—
  - (i) लंबित कार्रवाई की जाने योग्य सूचना और शिकायतों की संख्या ।
  - (ii) ऐसे मामलों की संख्या, जो प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट के प्रक्रम से पूर्व निदेशालय के समक्ष अन्वेषण हेतु लंबित हैं ।
  - (iii) ऐसे मामलों का ब्रेकअप, जहां प्रारंभिक परीक्षा रिपोर्ट निदेशक (अनुशासन) द्वारा निम्नलिखित को प्रस्तुत कर दी गई है—
    - क. अनुशासन बोर्ड
    - ख. अनुशासन समिति
  - (iv) ऐसे मामलों का ब्रेकअप, जो निम्नलिखित के समक्ष सुनवाई के लिए लंबित हैं (पुनः की जाने वाली सुनवाईयों, यदि कोई हों सहित)—
    - क. अनुशासन बोर्ड
    - ख. अनुशासन समिति
  - (v) ऐसे मामलों का ब्रेकअप, जिनमें सुनवाई पूरी हो गई है किंतु निष्कर्षों को निम्नलिखित द्वारा आरक्षित किया गया है—
    - क. अनुशासन बोर्ड
    - ख. अनुशासन समिति
  - (vi) ऐसे मामलों का ब्रेकअप, जिनमें निष्कर्षों को जारी कर दिया गया है किंतु निम्नलिखित द्वारा अभी दंडादेश जारी नहीं किए गए हैं—
    - क. अनुशासन बोर्ड



- ख. अनुशासन समिति
- (vii) ऐसे मामलों का ब्रेकअप, जिनमें निम्नलिखित द्वारा दंडादेश जारी कर दिए गए हैं—
- क. अनुशासन बोर्ड
- ख. अनुशासन समिति
- (viii) अपील प्राधिकारी के समक्ष फाइल किए गए अपील मामलों का ब्रेकअप, निम्नलिखित सांख्यिकियों सहित—
- क. मंजूर की गई अपीलें
- ख. आंशिक रूप से मंजूर की गई
- ग. खारिज की गई
- (3) निपटान संबंधी आंकड़ों में निपटाए गए मामलों का ब्रेकअप भी सम्मिलित होगा, अर्थात् ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें फटकार, रजिस्टर से नाम हटाए जाने, जुर्माना या रजिस्टर से नाम हटाया जाना और जुर्माना, दोनों की शास्ति अधिरोपित की गई है।
- (4) निम्नलिखित प्ररूप में जानकारी को संस्थान की वेबसाइट पर उपदर्शित किया जाएगा तथा उसे प्रत्येक मास अद्यतन किया जाएगा। यह जानकारी ऐसी सभी फर्मों/चार्टर्ड अकाउंटेंटों के लिए तैयार की जाएगी, जिनके मामले या तो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में (अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति/अपील प्राधिकारी/न्यायालय के समक्ष) लंबित हैं या जिनके मामले में वित्तीय वर्ष के दौरान पीईआर फाइल की गई है।
- वित्तीय वर्ष ..... मास तक अद्यतन
1. क्रम संख्या
  2. फर्म का नाम
  3. पीईआर फाइल किए जाने की तारीख
  4. अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति के समक्ष प्रास्थिति – लंबित/निर्णीत
  5. अनुशासन बोर्ड/अनुशासन समिति का अंतिम निर्णय – दोषी नहीं है/ धारा अनुसूची/दिशानिर्देश के अधीन दोषी है
  6. किसी उच्चतर मंच का निर्णय – किसी उच्चतर मंच में मामला फाइल नहीं किया गया/ ..... के समक्ष मामला फाइल किया गया ..... प्रास्थिति
- (5) अनुशासन बोर्ड द्वारा अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (5) और (6) के अधीन तथा अनुशासन समिति द्वारा धारा 21ख की उपधारा (5) और (6) के अधीन पारित अंतिम आदेश को प्रत्येक मामले के संबंध में, उक्त अंतिम आदेश को संबद्ध पक्षकारों को संसूचित करने के पश्चात् संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।

**203ग. अधिनियम की धारा 21क और धारा 21ख के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति के पीठासीन अधिकारियों और सदस्यों को संदेय भत्ते**

- (1) अनुशासन बोर्डों और अनुशासन समितियों के पीठासीन अधिकारी और सदस्य, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की बैठकों में भाग लेने और संबंधित कृत्यों का निर्वहन करने के लिए दैनिक भत्तों और यात्रा, आवास और स्थानीय वाहन भत्ते के प्रतिदाय के लिए निम्नानुसार पात्र होंगे :--
- अ. यात्रा व्यय का प्रतिदाय इस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि परिषद् के उपाध्यक्ष को अनुज्ञात है।
- आ. दैनिक भत्ते और आवास संबंधी व्ययों का प्रतिदाय इस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि परिषद् के उपाध्यक्ष को अनुज्ञात है।
- इ. स्थानीय वाहन भत्ता

स्थानीय वाहन भत्ता कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा और कार्यालय द्वारा स्थानीय भत्ता उपलब्ध न कराए जाने की दशा में उसका प्रतिदाय वास्तविक व्यय के अनुसार किया जाएगा, जो परिषद् के उपाध्यक्ष को अनुज्ञात दरों से अधिक नहीं होगा।

- (2) उपविनियम (1) में उल्लिखित भत्तों के अतिरिक्त अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समितियों के पीठासीन अधिकारी और सदस्य किसी एक कलेंडर मास में 2,00,000 रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए या जैसा कि उसे केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उपांतरित किया जाए, प्रत्येक दिवस के लिए क्रमशः 20,000 रुपए और 18,000 रुपए की आसीन फीस के लिए भी पात्र होंगे।

**203घ. अधिनियम की धारा 21क और धारा 21ख के अधीन गठित अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति में नामांकन हेतु व्यक्तियों का पैनल**

- (1) परिषद्, अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) और धारा 21ख के अधीन गठित किए जाने वाले अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति के पीठासीन अधिकारी और अन्य सदस्यों का नामांकन करने के लिए खंड के अधीन अधिकथित पात्रता मानदंड के अनुसार व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगी और उसे केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी, (क) अर्थात् उस पैनल में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित होंगे, जिन्हें विधि में अनुभव प्राप्त है और जिन्हें वृत्ति तथा अनुशासनिक मामलों का ज्ञान है और (ख) अर्थात् विधि, अर्थशास्त्र, कारबार, वित्त और लेखांकन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले विख्यात व्यक्ति।

भारतीय राजस्व सेवा, भारतीय निगम विधि सेवा, भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय पीएंडटी लेखा और वित्त सेवा, भारतीय रेल लेखा सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों, पीएसयू के निदेशक (वित्त), केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले केंद्रीय/राज्य सरकार के अधिकारियों, जिनके पास बीस वर्ष की समूह 'क' सेवा का अनुभव है, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीशों, जिनके अंतर्गत जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के रूप में न्यूनतम पांच वर्ष का अनुभव रखने वाले अपर जिला न्यायाधीश भी हैं, को परिषद् की खोजबीन समिति द्वारा तैयार किए जाने वाले पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु सम्यक् रूप से विचार में लिया जाएगा।

- (2) केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के अधीन अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले पीठासीन अधिकारी और सदस्यों के पैनल को तैयार करने के प्रयोजन के लिए परिषद्,—

(i) एक खोजबीन-सह-चयन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् खोजबीन समिति कहा गया है) का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और आईसीएआई के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले एक परिषद् सदस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले परिषद् के दो नामनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर बनेगी। परिषद् का अध्यक्ष खोजबीन समिति का भी अध्यक्ष होगा।

(ii) संस्थान का सचिव इस खोजबीन समिति का सचिव होगा।

- (3) अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के प्रयोजन के लिए खोजबीन समिति आवेदनों को आमंत्रित करेगी, इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगी और परिषद् के विचार हेतु एक पैनल तैयार करेगी :

परंतु खोजबीन समिति अपने स्वःविवेक के अनुसार पैनल में ऐसे व्यक्तियों के नामों को भी सम्मिलित कर सकेगी, जो समुचित रूप से विख्यात व्यक्ति हैं और जिनके पास अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के अनुसार अर्हताएं विद्यमान हैं :

परंतु यह और कि ऐसे पैनल में नामांकन हेतु अनुरोध किए जाने की तारीख से तुरंत पूर्ववर्ती दो वर्षों में किसी भी समय संस्थान की सदस्यता को धारण करने वाला कोई व्यक्ति या ऐसा कोई व्यक्ति, जो वर्तमान परिषद् का सदस्य रहा है या जो तुरंत पूर्ववर्ती परिषद् का सदस्य था, अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और धारा 21ख के अधीन उल्लिखित व्यक्तियों के प्रवर्ग में पैनलबद्ध किए जाने हेतु पात्र नहीं होगा।

- (4) खोजबीन समिति पैनल तैयार करने के लिए अनुरोध आमंत्रित किए जाने, आवेदनों की संवीक्षा किए जाने तथा परिषद् के अनुमोदन हेतु पैनल तैयार किए जाने और पैनल में सम्मिलित किए जाने हेतु अन्य व्यक्तियों की पहचान करने के प्रयोजन के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया के संबंध में विनिश्चय करेगी।
- (5) खोजबीन समिति द्वारा एकमत से विनिश्चय किया जाएगा।
- (6) इस प्रकार तैयार किए गए पैनल को ऐसे अंतरालों पर अद्यतन किया जाएगा, जैसा कि परिषद् द्वारा विनिश्चय किया जाए।
- (7) अधिनियम की धारा 21क की उपधारा (1) के खंड (ग) और धारा 21ख के अधीन अनुशासन बोर्ड और अनुशासन समिति में परिषद् द्वारा सदस्यों के नामांकन के संबंध में इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, संस्थान के सदस्य होंगे।
- (8) परिषद् द्वारा केंद्रीय सरकार को उपलब्ध कराए जाने वाले पैनल में सामान्य रूप से प्रत्येक रिक्ति के लिए कम से कम पांच नाम सम्मिलित होंगे।
- (9) पीठासीन अधिकारी या सदस्य, जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा या ऐसे सदस्य, जिन्हें परिषद् द्वारा अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और वे दो वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए विचारार्थ हेतु पात्र होंगे।
- (10) ऐसा कोई व्यक्ति पैनल में अपने नाम को सम्मिलित कराने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह निम्नलिखित में से किसी निःशक्तता से ग्रस्त है :--
- (क) वह विकृत-चित्त का है और उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस रूप में घोषित किया गया है ; या
- (ख) वह कोई अननुमोचित दिवालिया है ; या
- (ग) उसने दिवालिया के रूप में अधिनिर्णीत किए जाने हेतु आवेदन किया है और उसका ऐसा आवेदन लंबित है ; या
- (घ) उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, चाहे ऐसे अपराध में नैतिक अधमता सम्मिलित हो या अन्यथा ; या
- (ङ) किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा ऐसे व्यक्ति को कोई पद धारण करने के लिए निरर्हित किए जाने संबंधी कोई आदेश पारित किया गया है ; या
- (च) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21क या धारा 21ख या लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 या कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन, यथास्थिति, अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई दंड अधिरोपित करते हुए कोई आदेश पारित किया गया है।”।

(ण) अनुसूची 'क' में प्ररूप 1 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

प्ररूप "1"

(विनियम 3 के साथ पठित धारा 19(1) और (2) देखें)

सदस्यों का रजिस्टर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान

1. सदस्यता संख्या
2. आर.ए. नामांकन संख्या
3. पूरा नाम
4. जन्मतिथि
5. अधिवास

6. आवासीय पता
7. व्यावसायिक पता
8. रजिस्टर में प्रविष्टि की तारीख
9. अर्हताएं
10. क्या व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण कर रहा है
11. अध्येता के रूप में प्रवेश की तारीख
12. क्या स्वतंत्र रूप से व्यवसाय कर रहा है या भागीदारी में या व्यवसायरत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की किसी फर्म में नियोजित है
13. क्या वेतनभोगी नियोजन में है, यदि व्यवसाय में नहीं है तो
14. पते में परिवर्तन, यदि कोई हो
15. अध्याय V के अधीन लंबित कार्रवाई योग्य शिकायत या सूचना या उसके विरुद्ध नियोजित किसी जुर्माने का विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

सदस्य के विरुद्ध कार्रवाई योग्य शिकायतों/सूचना का विवरण#:-

शिकायत/ सूचना संदर्भ संख्या	यदि शिकायत/ जानकारी कार्रवाई किए जाने योग्य है	अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित सूचना या शिकायत का विवरण	यदि जांच के बाद अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ अधिरोपित शास्ति का विवरण	यदि बीओडी या डीसी द्वारा वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ उसका विवरण	यदि शास्ति अधिरोपित की गई है तो अपीलीय प्राधिकारी/उच्चतर न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए मामले का विवरण, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(प्रत्येक शिकायत/सूचना के लिए पृथक् पंक्ति का उपयोग किया जाए)

#### 16. टिप्पणियाँ

(त) अनुसूची "क" में, प्ररूप 1 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

प्ररूप "1क"

(अधिनियम की धारा 20ख के साथ पठित विनियम 20ख देखें)

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की फर्मों का रजिस्टर

1. फर्म रजिस्ट्रीकरण संख्या
2. फर्म का नाम
3. गठन की तारीख
4. फर्म का प्रकार – स्वामित्व वाली/भागीदारी/एलएलपी/एमडीपी
5. फर्म के नाम के अनुमोदन की तारीख

6. प्रधान कार्यालय का पता
7. भागीदारों का विवरण (उनके शामिल होने और छोड़ने की तारीख सहित)
8. फर्म के शाखा कार्यालय- उनके पते, खोलने/ बंद करने की तारीख और प्रभारी के विवरण के साथ
9. फर्म का दूसरा (के दूसरे) कार्यालय
10. वेतनभोगी सहायकों का विवरण, उनके शामिल होने और छोड़ने की तारीख के साथ
11. फर्म का पैन सं.
12. फर्म का जीएसटीआईएन
13. फर्म और भागीदारों का संपर्क नंबर और ईमेल आईडी
14. तारीख और फर्म संख्या सहित विलयन और निर्वलयन का विवरण
15. भागीदारों का अन्य संग्रह
16. फर्म के नेटवर्क का विवरण
17. भागीदारों के बीच विवाद का विवरण, यदि कोई हो।
18. क्या अध्याय V के अधीन फर्म के विरुद्ध कोई कार्रवाई योग्य सूचना या शिकायत लंबित है या उस पर कोई शास्ति अधिरोपित की गई है, यदि कोई हो, सारणीबद्ध रूप में # जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

शिकायत/ सूचना संदर्भ संख्या	यदि शिकायत/ जानकारी कार्रवाई किए जाने योग्य है	अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के समक्ष जांच के लिए लंबित सूचना या शिकायत का विवरण	यदि जांच के बाद अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति द्वारा वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ अधिरोपित शास्ति का विवरण	यदि बीओडी या डीसी द्वारा वृत्तिक या अन्य कदाचार का दोषी नहीं पाया जाता है, तो आदेश संख्या के साथ उसका विवरण	यदि शास्ति अधिरोपित की गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी/उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए मामले का विवरण, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

प्रत्येक शिकायत/सूचना के लिए अलग पंक्ति का उपयोग किया जाए

#### 19. टिप्पणियाँ

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./266/2023-24]

**टिप्पण :** मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 1 जून, 1988 को अधिसूचना संख्या 1-सीए (7)/134/88, तारीख 1 जून, 1988 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या 1-सीए(7)/201/2023, तारीख 21 जून, 2023 के माध्यम से किया गया था।

**THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**

(Set up by an Act of Parliament)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th July, 2023

**(Chartered Accountants)**

**No. 1-CA(7)/208/2023.**—The following draft of Regulations to further amend the Chartered Accountants Regulations, 1988, which the Council of the Institute of Chartered Accountants of India proposes to make, is hereby published, as required by sub-section (3) of section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949) for the information of all stakeholders likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which these draft regulations are published, are made available to the public;

Any person desirous of making any objection or suggestion in respect of the said draft Regulations, may forward the same for consideration by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India within the period so specified addressed to the Secretary, the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi – 110002;

Any objection or suggestion received from any person with respect to the said draft Regulations before the expiry of the period so specified will be taken into consideration by the Council.

**Draft Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Chartered Accountants (Second Amendment) Regulations, 2023.
  - (2) They shall come into force from the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Chartered Accountants Regulations, 1988,-
  - (a) in regulation 3,
    - (i) in heading of regulation, for the word “Register”, the words “Register “of Members” shall be substituted;
    - (ii) in regulation, after the words “The Register of members shall be, the word “maintained” shall be inserted;
  - (b) for regulation 3A, the following regulation shall be substituted, namely;-
    - (1) The list of members of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise, under sub-section (3) of section 19 of the Act and shall be made available on the website of the Institute. Physical copy shall be made available to member(s) on request, for sale at such price as may be fixed by the Council from time to time.
    - (2) The list of Members may contain the following details of members:
      - (i) Name – Member’s Name as per records of the Institute.
        - (ia) In case the member is registered under MRA:
          - Name of the Country
          - Name & address of the Regulating Accounting Body
        - (ii) Gender – Male, Female and Others
        - (iii) Qualification – Member’s qualification as per records of the Institute
        - (iv) Membership No. –
        - (v) Whether Associate or Fellow
        - (vi) Year of enrolment as Associate or Fellow
        - (vii) Whether holding Certificate of Practice
        - (viii) Professional Address (refer Regulation 187)
        - (ix) Members residing abroad - Member’s Region and residential address in India.
        - (x) Details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.
        - (xi) Details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.
  - (c) for regulation 9, the following regulation shall be substituted, namely;-

**“Grant or refusal of Certificate of Practice**

- (1) A member may apply to the Council for a certificate entitling him to practise as a chartered accountant.
- (2) An application for the grant of certificate of practice shall be made in the appropriate Form and shall be accompanied by the annual certificate fee and the annual membership fee unless the same has already been paid in accordance with Regulation 6.
- (3) The Institute may issue the Certificate of Practice in the appropriate Form which shall be valid until it is

cancelled under the provisions of these Regulations.

- (4) Notwithstanding anything contained in this regulation, a certificate of practice held by a member on 31st March 1975 shall be deemed to have been issued under this regulation and shall continue to be valid until it is cancelled.
  - (5) On his ceasing to be in practice, a member shall inform the Council as soon as may be, but in any case, not later than one month from the day he ceases to practice.
  - (6) The Council may refuse to grant Certificate of Practice to a Member, if the particulars furnished in prescribed form for applying Certificate of Practice are found to be incomplete, incorrect or false or the member is not eligible to obtain such certificate under other provisions of the Act.
- (d) after regulation 20, the following regulations 20A, 20B and 20C shall be inserted, namely:-

**“20A Manner of registration of firm and terms and conditions**

- (1) A chartered accountant in practice or a firm of such chartered accountants or Multi-Disciplinary Partnership firm of CAs, shall, before commencement of practice in a trade name or firm name, apply to the Council in the form approved by the Council for permission to use a trade or a firm name as per the guidelines issued by the Council from time to time.
- (2) For permission to use the existing trade or firm name or modification in trade or firm name, all the existing firms within 30 days from the date of commencement of these regulations, shall apply to the Council which may allow use of the existing trade/firm name or any modification in the name of the existing Firm as per the guidelines issued under sub-regulation (1) above.
- (3) The Council may, refuse to approve a particular trade or firm name if –
  - (i) the name of such firm is identical or similar to the name of any other firm already registered as per the records of the Institute; or
  - (ii) the name is in use by any firm within or outside India; or
  - (iii) If it bears the name of a god/goddess/deity and which has no relationship with the name of member(s); or
  - (iv) if the trade/firm name is descriptive; or
  - (v) if the trade/firm name smacks of publicity; or
  - (vi) if such name, in the opinion of the Council is undesirable; or
  - (vii) if in the opinion of the Council, the registration of the firm is undesirable.
- (4) The firm of chartered accountants shall within one month of the approval of the trade or firm name, or commencement of practice or change in the constitution or change in particulars of the firm or office, as the case may be, inform the Council of such particulars regarding his office, firm and changes as the case may be, in the appropriate Form.
- (5) Where the same trade or firm name has been registered in the past in the register of firms in the case of two or more members or firms, the Council may direct the member or the firm, as the case may be, other than one whose name was registered first in the register of firms, to alter the name in such manner as the Council may consider appropriate and member or firms inform to the Council of such alteration within six months of the issue of the direction.
- (6) The Council may recall, within one year, any Firm or trade name already registered and may direct to apply for a change in the name within six months from the issuance of directions of the Council, in case it finds the name earlier approved was not in accordance with the guidelines as per above sub-Regulation (1) which were in force at the time of approval of firm/trade name.
- (6A) The Council may recall, within one year of registration of any firm, such registration in case it finds that the registration is undesirable;
- (7) No member shall practice under a trade or firm name in respect of which a direction has been issued under sub-regulation (5) & (6) after the expiry of six months from the date of issue of the direction and the Council shall remove the name of such firm from the register of firm.
- (8) The Council may, in its discretion, condone the delay in filing the particulars under sub-regulation (4) in appropriate cases.”

**“20B Register of Firms**

- (1) The Council shall maintain a register of firms in appropriate form and shall enter therein the following details-
  - (i) particulars which are furnished by the firm under Regulation 20A.
  - (ii) details of pendency of any actionable information or complaint, imposition of penalty against the Firm under Chapter V of the Act.

(iii) details of imposition of any penalty against the Firm under Chapter V of the Act.

(iv) details of pendency of any legal proceedings related to penalty in the Appellate Authority or before any Court;

(v) In respect of clauses (ii), (iii) and (iv) above, the entry in the Register shall be updated within 60 days.

(2) The Council shall remove the name of a firm from the Register of Firms which is subject to any of the disabilities under section 20C of the Act.”

**“20C List of Firms**

(1) The List of Firms of the Institute as on the 1st day of April each year shall be published region-wise and shall be made available at the website of the Institute. Physical copy of the list of firms may be provided to such member or firm from which a request has been received at such price as may be fixed by the Council from time to time.

(2) The list of Firms shall be in two segments i.e., proprietorship firms and partnership firms (including Limited Liability Partnership) and may contain the following details of firms:-

(a) In the case of Proprietorship Firms

(i) Firm Name

(ii) Firm Registration Number

(iii) Proprietor Name (Member)

(iv) Membership No.

(v) COP Status of the Member

(vi) Firm Complete address

(vii) Member’s Association in any other Firm

(viii) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.

(ix) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.

(x) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.

(b) in the case of Partnership Firms

(i) Firm Name

(ii) Firm Registration Number

(iii) Partner Names

(iv) Membership No. of partners

(v) Partners COP Status

(vi) Partners’ Association in any other Firm

(vii) Address of Head Office

(viii) Number of Branch(es)

(ix) Address of Branch Office(s)

(x) details of pendency of any actionable information or complaint against it under Chapter V of the Act.

(xi) details of imposition of any penalty against it under Chapter V of the Act.

(xii) Any other particulars as may be decided by the Council from time to time.”

(e) in regulation 127, for sub regulation (1), the following sub regulation shall be substituted, namely;

(1) Regional Councils may be constituted for one or more of the regional constituencies mentioned hereunder or as may be specified from time to time by the Central Government under clause (a) of sub-section (2) of Section 9:

1.The States of Goa, Gujarat, Maharashtra and the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

2.The States of Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Telangana and the Union Territories of Lakshadweep and Puducherry.

3.The States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Sikkim, Tripura, West Bengal, and the Union Territory of Andaman & Nicobar Islands.

4.The States of Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttarakhand and Uttar Pradesh.

5.The States of Haryana, Himachal Pradesh, Punjab and the Union Territories of Delhi, Chandigarh, Jammu & Kashmir and Ladakh.

(f) in regulation 129, in sub-regulation (2), for the words, “Bombay, Madras, Calcutta” the words “Mumbai, Chennai, Kolkata” shall be substituted;

(g) in regulation 134,

(i) in clause (b) of first proviso of sub-regulation (2), for the words “more than three consecutive terms”, the word “two consecutive terms of four years” shall be substituted;



(ii) after the first proviso of sub-regulation (2), the following second proviso shall be inserted, namely;

“Provided further that a member of the Regional Council who has held office as such member for two terms or is holding office for the second term of three years, shall be eligible to contest for one more term of four years and a member who has held office for one term or is holding office for the first term of three years, shall be eligible to contest for two more consecutive terms.”

(iii) in clause (i) of third proviso of sub-regulation (2), for the word “three”, the word “four” shall be substituted.

(iv) in clause (ii) of third proviso of sub-regulation (2), for the word “six”, the word “eight” shall be substituted.

(v) In fourth proviso of sub-regulation (2), for the word “three”, the word “four” shall be substituted.

(vi) In sub-regulation (4), after clause (ii), the following two provisos shall be inserted, namely;

“Provided that a member who is entitled to vote by poll, shall be permitted to cast his vote for the candidates contesting from the regional constituency to which he belongs, at any polling booth of his choice within his Regional Constituency, provided an intimation to vote at a particular booth is received by the Returning Officer at least fourteen days prior to the date of polling.

Provided further that the Returning Officer may, on an application from a voter eligible to vote by poll seeking permission to cast his vote at a polling booth beyond his regional constituency, received at least three weeks prior to the date of polling, permit him to vote, for the candidates contesting from the regional constituency to which he belongs, at a polling booth, in the city of his choice beyond such regional constituency, if there has been a change in his professional address published in the List of Voters or he is expected to be away from his professional address on the date of polling and all necessary arrangements therefor shall be made by the Returning Officer.”

(h) in regulation 138,

(i) in sub-regulation (3), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i)The accounts of a Regional Council shall be audited every year by the same firm appointed by the Council from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor General of India.”;

(ii) For sub regulation (4), the following sub regulation shall be substituted, namely;

“(4) If any vacancy occurs in the office of an auditor, the same firm appointed by the Council from the panel of auditors maintained by the Comptroller and Auditor General of India may be appointed.”;

(i) For regulation 195, the following regulation shall be substituted, namely:-

#### “195. Appointment of Auditors

(1) The Council shall appoint a firm of chartered accountants as auditor every year in accordance with the provisions of sub-section (5) of Section 18 of the Act.

(2) The auditors once appointed by Council shall be eligible for re-appointment for two more consecutive years provided if the Council wants to change such appointment, they shall seek the consent of C&AG and appoint another auditor from the panel of auditors maintained by C&AG.

(3) The Council shall determine remuneration to be paid to the auditors.”

(j) for regulation 199, the following regulation shall be substituted, namely:-

“If any vacancy occurs in the office of an auditor, the same shall be filled up from the fresh panel of auditors maintained by C&AG.”

(k) for regulation 202, the following regulation shall be substituted, namely:-

#### “202. Powers and duties of the President

“(1) The President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council (except for approval related to Budget, Audited Annual Financial Accounts, powers to make regulations, guidelines and procedures) or its Standing Committees from time to time.

(2) The President may direct any business to be brought before the Council or any Standing Committee for consideration.”

(l) after regulation 202, the following regulation shall be inserted, namely:-

#### “202A Powers and duties of the Vice-President

The Vice-President shall exercise such powers and perform such duties as are specified by the Act and as may be delegated by the Council or its Standing Committees from time to time.”

(m) for regulation 203, the following regulation shall be substituted, namely:-

#### “203. Powers, duties and functions of the Secretary

Subject to the overall control, guidance and supervision of the Council, the Secretary shall execute the following functions:

- (1) being in charge of the office of the Institute as its Chief Executive Officer;
  - (2) cancelling of certificates of practice of associates and fellows in accordance with the provisions of Regulation 10;
  - (3) granting of permission to members to be engaged in other occupations besides the practice of the profession of accountancy within the categories permitted by the Council;
  - (4) maintaining registers, documents and forms as required by the Act and these Regulations;
  - (5) being in charge of all the property of the Institute;
  - (6) making necessary arrangements for receiving moneys due to the Council and also issuing receipts therefor;
  - (7) incurring revenue and capital expenditure within the limits sanctioned by the Council or its Committees;
  - (8) causing proper accounts to be maintained and delivering of account books, information etc. to the auditors appointed by the Council for the purpose of audit of accounts of the Institute;
  - (9) making all other payments as sanctioned by the Council or its Committees;
  - (10) paying salary and allowances to the staff, granting of leave etc. to them, and other perks to them, and sanctioning their increments in accordance with the regulations;
  - (11) exercising disciplinary control over the officers and employees except dismissal in respect of which the sanction of the Council shall be necessary;
  - (12) refunding or transferring fees received under these Regulations for the examinations, enrolment, issue of certificate of practice and allied matters;
  - (13) condoning any break in the service of articled assistants and audit assistants up to a maximum period of six months in his discretion;
  - (14) signing and issuing all communications, guidelines, circulars, orders, decisions and notifications on behalf of the Council;
  - (15) signing and execution of agreements, contracts, deeds, documents and undertaking, etc., on behalf of the Institute within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time.
  - (16) taking necessary steps in matters of any civil or criminal or other proceeding on behalf of the Institute in courts or forums or judicial or quasi-judicial authorities and signing vakalatnamas on behalf of the Council, appointing solicitors or advocates on behalf of the Council, and filing papers in Courts, etc. on behalf of the Council, within the financial and administrative powers as may be approved by the Council or its committees from time to time;
  - (17) performing such other duties and functions as are incidental and ancillary to and may be required for the performance of the above duties and exercising such other powers as may be delegated by the Council or its Committees from time to time.
  - (18) authorizing any officer or officers of the Institute to exercise or discharge any powers or duties under items (4), (6), (7), (8), (9), (12) and (13) as may be considered necessary from time to time.”
- (n) after regulation 203, the following regulations 203B, 203C and 203D shall be inserted, namely:-

**“203B Status of actionable information and complaints in public domain**

- (1) The status of actionable information and complaints pending before the Disciplinary Directorate, the Board and the Committee shall be made available on the website of the Institute and shall be updated every month.
- (2) The status of such pending information and complaints shall contain the following details: -
  - (i) Total number of actionable information and complaints pending.
  - (ii) Number of cases which are pending for investigation before the Directorate prior to the stage of preliminary examination report.
  - (iii) Break up of cases where Preliminary Examination Report has been submitted by Director (Discipline) to the—
    - a. Board of Discipline
    - b. Disciplinary Committee
  - (iv) Break-up of cases pending for hearing (including recalled hearings, if any) before the—
    - a. Board of Discipline
    - b. Disciplinary Committee
  - (v) Break up of cases where hearing has been concluded but findings have been kept reserved by the :
    - a. Board of Discipline

- b. Disciplinary Committee.
- (vi) Break-up of cases where findings have been issued but punishments are yet to be awarded by the –
- Board of Discipline.
  - Disciplinary Committee.
- (vii) Break-up of cases in which punishments have been awarded by the –
- Board of Discipline.
  - Disciplinary Committee.
- (viii) Break-up of appeal cases filed before Appellate Authority with statistics of
- Appeals allowed,
  - Partly allowed,
  - Dismissed.
- (3) Disposal Statistics to also include break-up of disposal i.e.; number of cases in which penalty of reprimand, removal from the register, fine or both removal from the register and fine, have been awarded.
- (4) Information in the following format shall also be displayed on the website of the Institute and will be updated every month. This information shall be prepared for all firms/CAs whose cases are either pending at the beginning of the financial year (before BoD/DC/Appellate Authority/Court) or in whose case, the PER has been filed during the financial year:
- Financial Year \_\_\_\_\_ Updated upto month \_\_\_\_\_
- Sl. No.
  - Name of the Firm
  - PER filed on
  - Status at BoD/DC - Pending/ Decided
  - Final Decision of BoD/DC - Not Guilty/Guilty under Section \_\_/Schedule \_\_/Guidelines \_\_
  - Decision in Higher Forum - No case filed in Higher Forum/ Case filed before \_\_\_\_ a/w Status
- (5) The final Order passed by the Board of Discipline under sub-section (5) and (6) of Section 21A and by the Disciplinary Committee under sub-section (5) and (6) of Section 21B of the Act shall be made available on the website of the Institute in respect of each case after the same is communicated to the parties concerned.”

**“203C Allowances payable to the Presiding Officer and members of the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act**

- (1) The Presiding Officer and the Members of the Boards of Discipline and the Disciplinary Committees shall be eligible for daily allowances and reimbursement of expenses of travelling, lodging and local conveyance for attending the meeting and related functions of the Board or the Committee, as the case may be, as follows: -
- Reimbursement of Travelling expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council.
  - Daily allowance and reimbursement of lodging expenses shall be as admissible to the Vice President of the Council.
  - Local Conveyance
- The local conveyance shall be provided by the office and in case the same is not provided, they will be reimbursed as per actuals not exceeding the rates admissible to the Vice President of the Council.
- (2) In addition to the allowances at sub-regulation (1), the Presiding Officers and the members of the Boards of Discipline, Disciplinary Committees, shall also be eligible for sitting fees @ Rupees Twenty thousand and Rupees Eighteen thousand respectively for each day, subject to a maximum of Rs. 2,00,000/- in a calendar month or as modified by Central Government from time to time.”

**“203D Panel of persons for nomination to the Board of Discipline and Disciplinary Committee constituted under Section 21A and Section 21B of the Act**

- (1) The Council shall prepare and provide to the Central Government, Panel(s) of persons for nomination of the Presiding Officer and other members of the Board of Discipline and the Disciplinary Committee to be constituted as per the eligibility criteria laid down under clause (a) i.e. persons with experience in law and having knowledge of disciplinary matters and the profession and (b) i.e. persons of eminence having experience in the field of law, economics, business, finance or accountancy, of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.

Due regard shall be given to Officers retired from Indian Revenue Service, Indian Corporate Law Service, Indian Audit and Accounts Service, Indian Defence Accounts Service, Indian Civil Accounts Service, Indian P&T Accounts & Finance Service, Indian Railway Accounts Service, Director (Finance) of PSUs, Officers of Central/State Govts. as may be notified by Central Government, having 20 years of Group “A” service experience, Retired High Court Judge, Retired District Judge including Addl. District Judge with minimum five years of experience as District Judge or Addl. District Judge, for inclusion in the panel prepared by the

Search Committee of the Council.

- (2) For the purpose of preparing the Panel(s) for Presiding Officer and members to be nominated by the Central Government to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, the Council may:-
- (i) constitute a Search-cum-Selection Committee (hereinafter referred to as the Search Committee) consisting of President, Vice President, a Council Member to be nominated by the President and two Govt. Nominated Members of the Council to be nominated by the Central Government. The President of the Council shall be the Chairperson of the Search Committee.
- (ii) Secretary of the Institute shall be the Secretary to this Search Committee.
- (3) Search Committee for the purpose of clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act, shall invite applications, scrutinize the applications received and prepare a panel for consideration of the Council:
- Provided that in such panel, the Search Committee at its own may also include the names of persons of appropriate standing and having qualification as per clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.
- Provided further that no person holding membership of the Institute anytime immediately preceding two years from date of request for empanelment or who has been a member of the current Council or the immediate previous Council, shall be eligible for empanelment in the category of persons mentioned under clause (a) and (b) of sub-section (1) of section 21A and 21B of the Act.
- (4) The Search Committee, for the purpose of inviting, scrutiny of applications, preparation of panel for approval of the Council and identifying other persons for inclusion in the Panel shall decide its own procedure.
- (5) The decision of the Search Committee shall be unanimous.
- (6) The Panel so prepared shall be updated at such interval as may be decided by the Council.
- (7) For nomination of members by the Council to the Board of Discipline and the Disciplinary Committee under clause (c) of sub-section (1) of Section 21A and of Section 21B, the member so nominated shall be a member of the Institute.
- (8) The Panel to be provided by the Council to the Central Government shall include at least five names for each vacancy ordinarily.
- (9) Presiding Officer or member(s) who have been nominated by the Central Government or member(s) nominated by the Council to Board of Discipline or Disciplinary Committee, shall hold office for period of two years and shall be eligible for being considered for one more term of two years.
- (10) No person shall be eligible for inclusion of his name in the panel, if he suffers from any of the following disabilities: -
- (a) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (b) he is an undischarged insolvent; or
- (c) he has applied to be adjudicated as an insolvent and his application is pending; or
- (d) he has been convicted by a Court of an offence, whether involving moral turpitude or otherwise; or
- (e) an order disqualifying him from holding any post has been passed by a Court or tribunal or
- (f) an order under Section 21(A) or 21(B) of the Chartered Accountants Act, 1949 or the Cost and Works Accountants Act, 1959 or the Company Secretaries Act, 1980 has been passed imposing any punishment by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee, as the case may be.”
- (o) in Schedule “A”, for Form 1, the following Form shall be substituted, namely:-

Form"1"

(See Section 19 (1) & (2) read with Regulation 3)

Register of Members

The Institute of Chartered Accountants of India

1. Membership Number
2. R.A. Enrolment No.
3. Name in full
4. Date of Birth
5. Domicile
6. Residential address

7. Professional address
8. Date of entry in the Register
9. Qualifications
10. Whether holding a certificate of practice
11. Date of admission as Fellow
12. Whether practicing independently, in partnership or employed in a firm of Chartered Accountants in practice
13. Whether holding a salaried employment, if not in practice
14. Change of address, if any
15. The details of actionable complaint or information pending or any penalty has been imposed against him under Chapter V in the tabular form# as indicated below:

Details of actionable complaints/information against the member#:-

Complaint/ Information Reference No.	If complaint/ Information actionable	Details of information or complaint pending for inquiry before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee	If found guilty of professional or other misconduct by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee after the inquiry, details of penalty imposed along with Order Number	If not found guilty of professional or other misconduct by BoD or DC, the details thereof along with Order Number	If penalty imposed, details of case filed before the Appellate Authority/Higher Court, if any .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(Separate row to be used for each complaint/ information)

16. Remarks

(p) in Schedule "A", after Form 1, the following Form shall be inserted, namely:-

Form "1A"

(See Regulation 20B read with Section 20B of the Act)

Register of Firms of The Institute of Chartered Accountants of India

1. Firm Registration Number
2. Firm Name
3. Date of Constitution
4. Type of Firm – Proprietary/Partnership/LLP/MDP
5. Date of approval of Firm Name
6. Address of the Head Office
7. Details of Partners (Along with their date of joining and leaving)
8. Branch office(s) of the firm- along with their address, date of opening, closure and in-charge details
9. Second Office(s) of the Firm
10. Details of Paid Assistants along with their date of joining and leaving
11. PAN of the Firm
12. GSTIN of the firm
13. Contact Number and email ID of the firm and Partners
14. Details of Merger and Demerger along with dates and firm numbers
15. Other association of the partners
16. Details of Network of the Firm
17. Details of dispute among the partners, if any.
18. Whether any actionable information or complaint is pending or penalty imposed, if any, against the firm under Chapter V in the tabular form# as indicated below:

Complaint/ Information	If complaint/ Information	Details of information	If found guilty of professional or other	If not found guilty of	If penalty imposed, details of case filed

Reference No.	actionable	or complaint pending for inquiry before the Board of Discipline or the Disciplinary Committee	misconduct by the Board of Discipline or the Disciplinary Committee after the inquiry, details of penalty imposed along with Order Number	professional or other misconduct by BoD or DC, the details thereof along with Order Number	before the Appellate Authority/Higher Court, if any .
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Separate row to be used for each complaint/ information

19. Remarks

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./266/2023-24]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 1st June, 1988 vide number 1-CA(7)/134/88 dated 1st June, 1988 and lastly amended vide Notification No.1-CA(7)/201/2023 dated 21st June, 2023.